

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 453

दिनांक 15/02/2024

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
इन्द्रादेवी वगैरा	बनाम	हिन्दूराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 104/2023

दिनांक : 12.02.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र ईशरोल के मौजा सेवाणियों का तला में खसरा सं. 474 रकबा 14.5363 हैक्टयेर एवं मौजा सारण नगर में खसरा सं. 443 रकबा 15.6208 हैक्टयेर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 454 to 457  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण इन्द्रादेवी वगैरा
3. विप्रार्थीगण हिन्दूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 15/02/2024



(सूरजभान विशनोई)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन